न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2019 (रसद)
पंजीयन दिनांक 02.01.2019

राज्य सरकार जरिये श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
–प्रार्थी

बनाम

श्री प्रहलाद सिंह पिता अर्जुन सिंह मैसर्स शिव शक्ति गैस सर्विस, इन्द्रा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थिति : 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 20.08.2019

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.09.2018 को प्रवर्तन अधिकारी एवं जांच दल को तहसील निम्बाहेड़ा में इन्द्रा कॉलोनी चौराहे के पास अवैध गैस रिफलिंग की शिकायत मिलने पर मौके पर शिव शक्ति गैस सर्विस की जांच की गई, मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसने पूछताछ में अपना नाम श्री प्रहलाद सिंह बताया तथा स्वयं को शिव शक्ति गैस सर्विस का मालिक बताया एवं स्वयं इसका संचालन करना बताया। मौके पर श्री प्रहलाद सिंह के साथ शिव शक्ति गैस का निरीक्षण करने पर एल. पी. जी. गैस के भरे हुए दो गैस सिलेण्डर व रिफिलर पाईप (बांसुरी) पाये गये। उक्त गैस सिलेण्डर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किए तथा यह भी बताया कि वह छोटे गैस सिलेण्डरों में गैस भरने का कार्य करते हैं। मौके पर कालिका गैस सर्विस निम्बाहेड़ा के प्रतिनिधि को बुलाकर उनके प्रमाणित साल्टर हैंगिंग स्कैल से सिलेण्डरों में भरी गैस का तौल करवाया गया तो बी. पी. सी. एल. के दोनों सिलेण्डरों मे क्रमशः 6.8 कि. ग्रा. एवं 14.00 कि. ग्रा. इस प्रकार दोनों सिलेण्डरों में कुल

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 02/2019 (रसद)
राज्य सरकार जरिए श्री हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी निम्बोहड़ा बनाम श्री प्रहलाद सिंह निवासी निम्बाहेड़ा

20.8 कि. ग्रा. गैस भरी हुई पाई गई। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाने से दो गैस सिलेण्डर मय गैस मात्रा 20.8 कि. ग्रा. एवं रिफिलर पाईप (बांसुरी) को जब्त कर, उक्त जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना-पत्र जारी किया गया। विपक्षी ने दिनांक 16.07.2019 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गयी।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकता है। दिनांक 14.09.2018 को विपक्षी के फर्म पर जांच करने पर विपक्षी के प्रतिष्ठान में दो घरेलू सिलेण्डर अनाधिकृत पाए गए एवं विपक्षी द्वारा उनसे छोटे गैस सिलेण्डरों में गैस भरना बताया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर (14.20 कि.ग्रा.) का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल. पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा बी. पी. सी. एल. के 2 गैस सिलेण्डर मय गैस एवं रिफिलर (बांसुरी) राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

विपक्षी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि रसद दल द्वारा मेरे उपर अवैध गैस रिफिलिंग का आरोप लगाया है जो कि गलत है। मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है तथा जो 2 गैस टंकियां जब्त की है उनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। अतः कार्यवाही निरस्त करावें।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण का गहनता से अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी एवं जांच दल द्वारा विपक्षी के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर विपक्षी के प्रतिष्ठान पर घरेलू श्रेणी के 2 गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा उक्त गैस सिलेण्डर के वैध दस्तावेज मांगने पर विपक्षी द्वारा उक्त सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 02/2019 (रसद)
राज्य सरकार जरिए श्री हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी निम्बोहड़ा बनाम श्री प्रहलाद सिंह निवासी निम्बाहेड़ा

के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपने प्रतिष्ठान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। अतः जब्त शुदा 02 बी. पी. सी. एल. के गैस सिलेण्डर मय गैस एवं रिफिलर पाईप राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्त शुदा बी. पी. सी. एल. के 02 गैस सिलेण्डर मय 20.8 कि. ग्रा. गैस एवं रिफिलर पाईप (बांसुरी) राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official